छत्तीसगढ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

कमांक एफ 1–108/राजस्व/राहत/2013/985 नया रायपुर, दिनांक 23/09/2013

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः–राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड '6' कमांक 4 (RBC 6-4) के तहत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) से दी जाने वाली आर्थिक सहायता के मदो एवं मापदण्डो में संशोधन ।

———

राज्य शासन एतद् द्वारा, प्राकृतिक प्रकोपों से होनेवाली जन, धन, पशु और फसल हानि आदि पर तात्कालिक आर्थिक सहायता अनुदान हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 के अर्न्तगत संलग्न परिशिष्ट – ''एक'' अनुसार माप एवं मापदण्डों को संशोधित करता है ।

2 लेखा संधारण और प्रशासनिक व्यवस्था से संबधित निर्देश और व्यवस्थायें पूर्ववत रहेगी ।

3. उक्त संशोधन के लिए वित्त विभाग की सहमति यू.ओ. कमांक 397/सी.एन./2013–0700066/बजट–5/वित्त/चार/2013 दिनांक 11/09/2013 से प्राप्त की गई है।

4. यह आदेश एवं परिशिष्ट राजस्व विभाग की वेबसाइट http://cg.nic.in/revenue पर भी अपलोड किया जा रहा है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

संलग्न : यथोपरि

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रकान्त उइके)
उप सचिव 25/9/13
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

एन.आई.सी. छत्तीसगढ़ इकाई, रायपुर
No. 1287
Date 25/9/13
N.I.C. STATE UNIT, RAIPUR

D:\D drive\Deatils of all file\Letter-53.doc

राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 में आंशिक संशोधन

क.	मद	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1	2	3	4
1	**उपादानित राहत**		
	मृत व्यक्तियों के परिवारों को अनुग्रह अनुदान सहायता	प्रति मृतक रू. 150000/–	प्राकृतिक आपदा, आपदा प्रबंधन की तैयारी तथा बचाव राहत कार्य करते हुए मृत्यु होने पर प्रति मृतक रूपये 1.50 लाख
	भीषण विपत्ति में बेघर व्यक्तियों को अनुदान सहायता।	रू. 30/– प्रति वयस्क एवं रू. 25/– प्रति बच्चा (जो राहत शिविर में नहीं है) सामान्य स्थिति में 30 दिन तक जिसे 60 दिन तक बढ़ाई जा सकेगी तथा अकाल व कीटप्रकोप में 90 दिन तक वृद्वि की जा सकती है।	**रू. 40/– प्रति वयस्क एवं रू. 30/– प्रति बच्चा (जो राहत शिविर में नहीं रखे गये है) राज्य कार्यपालिक समिति की अनुशंसा अनुसार सामान्य स्थिति में 30 दिन तक जिसे 60 दिन तक बढ़ाई जा सकेगी तथा अकाल व कीटप्रकोप में 90 दिन तक वृद्वि की जा सकती है।**
2	**राहत कार्य**		
	अस्थायी शिविर में भोजन, कपड़ा, चिकित्सा आदि	राज्य कार्यपालिक समिति द्वारा निर्धारित/मूल्यांकन तथा अनुशंसित आवश्यकतानुसार 15 दिवस तथा अत्यधिक अकाल में 30 दिवस तक वृद्धि की जा सकती है।	**राज्य कार्यपालिक समिति द्वारा निर्धारित/मूल्यांकन तथा अनुशंसित आवश्यकतानुसार 30 दिवस तथा अत्यधिक अकाल एवं अन्य विपरीत परिस्थितियों में 60 दिवस तथा 90 दिवस तकसूखा की स्थिति में वृद्धि की जा सकती है।**
	(1) 50 प्रतिशत् से अधिक फसल नुकसान होने पर <u>Input Subsidy</u>		
	कृषि, बागवानी और वार्षिक वृक्षारोपण फसल	रू. 3000/– प्रति हेक्टेयर Rainfed (वर्षा आधारित) क्षेत्र हेतु तथा रू. 6000/– सिंचित क्षेत्र के लिए, जो कि बुआई क्षेत्र अनुसार न्यूनतम रू. 500/– मात्र लघु एवं सीमांत कृषक	**रू. 4500/– प्रति हेक्टेयर Rainfed (वर्षा वृष्टि छाया आधारित) क्षेत्र हेतु तथा रू. 9000/– सिंचित क्षेत्र के लिए, जो कि बुआई क्षेत्र अनुसार न्यूनतम रू. 750/– मात्र लघु एवं सीमांत कृषक**
	बारहमासी फसल	रू. 8000/– प्रति हेक्टेयर जो कि बुआई क्षेत्र अनुसार न्यूनतम रू. 100/–	**रू. 12000/– प्रति हेक्टेयर बोये गये क्षेत्र पर न्यूनतम रू. 1500/–**
	(2) लघु एवं सीमांत कृषकों को छोड़कर अन्य कृषक के लिए		

क.	मद	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1	2	3	4
	50 प्रतिशत् से अधिक फसल क्षति पर प्रति कृषक 1 हेक्टेयर और लगातार सिललिवार आपदा होने पर 2 हेक्टेयर	रू. 3000/– प्रति हेक्टेयर Rainfed (वर्षा आधारित) क्षेत्र हेतु तथा रू. 6000/– प्रति हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र हेतु तथा रू. 8000/– प्रति हेक्टेयर बारहमासी फसलों के लिए, मात्र अन्य कृषकों हेतु जो लघु व सीमांत नहीं है।	**रू. 4500/– प्रति हेक्टेयर Rainfed (वर्षा वृष्टि छाया आधारित) क्षेत्र हेतु तथा रू. 9000/– प्रति हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र हेतु तथा रू. 12000/– प्रति हेक्टेयर बारहमासी फसलों के लिए, मात्र अन्य कृषकों हेतु जो लघु व सीमांत नहीं है। अनुदान राशि हेक्ट. तक सीमित रहेगी किन्तु लगातार प्राकृतिक आपदा की स्थिति में 2 हेक्ट. तक सीमित।**
3	**पशुहानि (मात्र लघु और सीमांत कृषकों हेतु)**		
	पशु राहत शिविर में चारा एवं पेयजल सप्लाई	**बड़े पशु** रू. 32/– प्रतिदिन, छोटे पशु रू. 16/– प्रतिदिन (राज्य कार्यपालिक समिति द्वारा निर्धारित 15 दिवस हेतु)	**बड़े पशु रू. 50/– प्रतिदिन, छोटे पशु रू. 25/– प्रतिदिन (30 दिवस एवं राज्य कार्यपालिक समिति द्वारा निर्धारित 60 दिवस तक बढ़ाया जा सकता है) सूखा की स्थिति में 90 दिवस**
4	**आवास**		
	(अ) पूर्णतः नष्ट		
	पक्का मकान	रू. 35000/– प्रति आवास पूर्ण मकान नष्ट होने पर अनुदान सहायता।	**रू. 70000/– प्रति आवास पूर्ण मकान नष्ट होने पर अनुदान सहायता।**

नोट – शेष प्रावधान यथावत है। उनमें कोई संशोधन नहीं किया गया है।